103

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 121-दो/2009 - विरूद्ध आदेश, दिनांक 25-10-2008 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 801/2006-07 निगरानी

बृजवासी प्रसाद पुत्र अंगद प्रसाद पटैल
ग्राम सहिजना तहसील गुढ़ जिला रीवा

---आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती मौतिनिया पत्नि स्व.सूर्यप्रताप पटैल
2- संतोष 3- अजीतकुमार 4- आनन्दकुमार
पुत्रगण स्व.सूर्यप्रताप पटैल
निवासीगण ग्राम झांझ तहसील रामपुर नेकिन
जिला रीवा मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित -एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 26-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 801/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-10-2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अनावेदक ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110, 178 के

अंतर्गत कुल किता 5 स्थित ग्राम सहिजना की आपसी बदला के जर्य नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार गुढ़ ने प्रकरण कमांक 55 अ27/ 2003-04 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दि0 24-5-2006 पारित करके आवेदन अपूर्ण एंव अस्पष्ट तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलैक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 693 अ-27/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-9-20.07 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 801/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-10-2008 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर एंव निगरानी मेमो के तथ्यों के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक एंव अनावेदकगण के पिता आपस में सगे भाई रहे हैं जिन्होंने तहसीलदार के समक्ष ग्राम सहिजना की भूमि सर्वे कमांक 409, 410, 429, 430, 431 के बटवारा करने एंव नामान्तरण करने का आवेदन दिया है। सुनवाई के दौरान रामाश्रय पुत्र अंगद ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की है कि आवेदिक भूमि में उसका हिस्सा 1/2 है किन्तु उसने बदलीनामा लिखा ही नहीं है और यदि बदली नामा लिखवाया होता तो सूर्यप्रताप के जीवनकाल में ही बटवारा/ नामान्तरण हो गया होता। तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 24-5-06 में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदित भूमि पर पटवारी रिपोर्ट एंव पंचनामा के अनुसार 1/2 भाग पर लक्ष्मण पुत्र रामाश्रय का कब्जा बताया गया है जबकि आवेदक व्दारा पूरी भूमि पर नामान्तरण चाहा गया है । आवेदक का

आवेदन अस्पष्ट व अपूर्ण है। अपर कलेक्टर रीवा ने भी आदेश दिनांक 10-9-07 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 25-10-08 में इसी प्रकार के निष्कर्ष दिये है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी सारहीन है । फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 801/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-10-2008 उचित पाये जाने यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर